न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 02/2022

1. मुरारीलाल पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू ।
2. उप पंजीयक चूरू ।
3. प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद चूरू ।

रेस्पोडेण्टस

4. सांवरमल पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू ।
5. लक्ष्मीदेवी उर्फ मोहनीदेवी पत्नी नोरतमल जाति जाट निवासी चूरू ।
6. सावित्रि पुत्री नोरतमल जाति जाट निवासी चूरू ।
7. प्रेमसिंह पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी चूरू ।
8. मोतीलाल पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी चूरू ।
9. सोहनलाल पुत्र डूंगररा जाति जाट निवासी चूरू ।

गोण रेस्पोडेण्टस

उपस्थितः— 1. श्री अजय सिहाग अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अभिषेक सिहाग अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस 4 ता 9

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू जिला चूरू के आदेश दिनांक 27.12.2021 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः—30.03.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय चूरू के अंतरिम आदेश दिनांक 27.12.2021 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा खेत ख0न0 1286/849 व 1287/849 में अकृषि कार्य के प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग में लिये जाने के कारण एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है ।

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपनी बहस व अपील के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया है कि वादगत कृषि भूमि का खाता विभाजन होने के बाद गत ख0न0 से बने नये ख0न0 1282/849, 1289/849, 1281/849, 1285/849, 1280/849, 1283/849, 1284/849, 1288/849, 1277/849 व 1279/849 बने है जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । गत ख0न0 849 वाके रोही ग्राम रामसरा की कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पो0 सं0 4 ता 9 के पिता व दादा के नाम स्थित थी । अपीलांट व रेस्पो0 स0 4 ता 9 ने सक्षम न्यायालय से अपना खाता विभाजन करवाया था उसी अनुसार अपीलांट व रेस्पो0 सं0 4 ता 9 अपनी अपनी कृषि भूमि में काश्त करने लगे तथा गहरे गढढे व उचें टिले का समतलीकरण कर व वहां पिलर रोप कर अपनी काश्त की भूमि पर तारंबंदी वगैरह की है जिससे यह कृषि भूमि काश्त के लिये उपयोगी व सुगम हो सके तथा फसलो की सुरक्षा पशु आदि से की जा सके । इन सब का झुठा हवाला देकर हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार महोदय ने धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाहो की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन आदेश जारी करवा लिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व अन्य सहखातेदारों को बिना सुचना नोटिस दिये बगैर सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय रूप से विधि विरूद्व स्थगन आदेश पारित कर दिया । दिनांक 22.12.21 की फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई जो मनगढत व मनमर्जी से बनाई गई है । यह रिपोर्ट मोके के विपरित व बिना मोके पर गये बनाई गयी है जो रिपोर्ट देखने मात्र से पता चलता है । ख0न0 की संख्या कहां से लिखी है ना तो पटवारी हल्का ने राजस्व रेकार्ड देखा व ना ही मोके पर जाकर रिपोर्ट बनाई ना ही मोके पर मोजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवायें है । जिन खसरा नम्बरों का हवाला मोका रिपोर्ट में हल्का पटवारी ने दिखलाया है वो खसरा नम्बर अपीलांट के नाम से ही नही है । लेकिन दावे में तहसीलदार महोदय चूरू ने जानबुझकर अपीलांट के खातेदारी खेत के राजस्व रेकार्ड को देखकर अपीलांट के खातेदारी खसरों पर धारा 177 की कार्यवाही की है । स्थगन आदेश जारी किया है । इसलिये पटवारी रिपोर्ट के आधार यह आदेश न्यायोचित नही है । गत ख0न0 849 के नये खसरा नम्बर होने के बाद सक्षम न्यायालय द्वारा तो कार्यवाही की जा रही है लेकिन नगर परिषद चूरू ने भी सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश जारी होने के बाद वादगत कृषि भूमि पर कार्यवाही कर रही है एवम खातेदारों को डराना व धमकाना शुरू कर दिया है तथा वादगत कृषि भूमि पर नगर परिषद चूरू ने अपना बोर्ड लगाया है कि यह भूमि विवादित है इसको किसी प्रकार से रहन व अन्तरण न करे जो कानूनी सही न होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरित है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 को अपास्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे ।

3. पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवेजो का अवलोकन किया वादगत कृषि भूमि ख0न0 1286/849 तादादी 0.7587 हैक्टयर एवम ख0न0 1287/849 तादादी 0.1686 हैक्टयर

किस्म बिरानी कृषि भूमि जो राजस्व रेकार्ड में अपीलांट/अप्रार्थी मुरारीलाल के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है । उक्त भूमि राज्य सरकार जो भ्मि की वास्तविक मालिक है ने भूमि सिचित या असिचिंत रूप से फसल काश्त करने, फसल काटने या किसी प्रकार की मोसमी पेदावार का उपभोग करने हेतु ही दी गयी है । जिसे करने के लिये खातेदार पुर्णतयः स्वतंत्र है व किसी अनुपति के बिना कृषि भूमि को अकृषि कार्य के उपयोग में लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन अनुमति प्राप्त कर ही उपभोग में लिया जा सकता है । वादगत कृषि भूमि में अपीलांट/अप्रार्थी सं0 1 मुरारीलाल खातेदार द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ही प्राप्त अधिकारों के विपरित अकृषि कार्य जिसमें भूमि पर अकृर्षि प्रयोजन किया गया है । अकृषि प्रयोजन कर भूमि की प्रकृति बदल दी गयी है जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है । हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी को ऐसा न करने हेतु पाबंद किया गया उसके बावजुद निर्माण कार्य करने से नही रूका व भूमि की पूर्णतया प्रकति बदलने में आमादा है । अतः रोही ग्राम रामसर के खेत ख0न0 1286/849 तादादी 0.7587 हैक्टयर एवम ख0न0 1287/849 तादादी 0.1686 हैक्टयर किस्म बिरानी कृषि भूमि पर ताफेसला बाद अपीलांट/अप्रार्थी को कृषि कार्य करने, फसल काटने एवम किसी प्रकार की मोसमी पेदावार का उपभोग करने के अलावा अन्य कोई अकृषि कार्य नही करने तथा किसी प्रकार के आवासीय प्लोट का विक्रय सम्पादित नही करने एवम पंजीबंद्व नही करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे तथा अधोनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे ।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवम अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादगत कृषि भूमि खेत ख0न0 1286/849 तादादी 0.7587 हैक्टयर व ख0न0 1287/849 तादादी 0.1686 हैक्टयर में अपीलांट/अप्रार्थी के द्वारा कृषि भूमि को अकृषि कार्य के उपयोग में ली जाकर समतलीकरण व प्लोंटिग का कार्य करने से अतंरिम अस्थगन आदेश से पाबंद किया है । हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 22.12.2021 के अवलोकन से यह पता चलता है कि ग्राम रोही रामसरा के ख0न0 1286/949, 1287/949 का मौका मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें ख0न0 1286/849 को पूर्ण रूप से पत्थरों से सड़कनमा बनाया हुआ है तथा ख0न0 1288/849 के मध्य से पत्थर डालकर रास्ता बनाया जा रहा है । हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अन्दर कहीं भी प्लोटिंग या समतलीकरण आवासीय उपयोग हेतु कहीं भी अंकित नही किया गया है । हल्का पटवारी की रिपोर्ट में ख0न0 1286/949, 1287/949 व 1278/949 का अंकन किया हुआ है जो की अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.12.2021 में ख0न0 1286/849 व 1287/849 का अंकन किया हुआ है जो आपस मे विराधाभाषी है । अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत गुगल नक्शा के अवलोकन से भी यह पता चलता है कि वादगत कृषि भूमि में प्लोटिंग या आवासीय भूखण्ड निर्माण का होना साबित नही होता है केवल मात्र अपनी जोत में जाने के लिये रेतीले रास्ते को पक्का किया जाकर आवागमन हेतु सुगम बनाने को प्लोटिंग के कार्य की परिभाषा नही दी जा सकती है । अपीलांट अपने रेकार्डेड

खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते को सुगम व सरल बनाने का कार्य किया है नगर परिषद चूरू के द्वारा वादगत कृषि भूमि में अपना बोर्ड लगाकर स्वामित्व स्थापित करना भी न्यायोचित प्रतित नही होता है क्यों कि किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा नगर परिषद चूरू को रिसीवरी या अन्य शक्तियां प्रदान नही की है जिससे वो अपीलांट के खातेदारी खेत में बाध्यता उत्पन्न करें ।

5. अतः उक्त विवेचन एव विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवम अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.12.2021 को अपास्त किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिंनाक 30.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर